राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

डीजी परिपत्र संख्या: 28 / 2026
ई-साक्ष्य परिपत्र संख्या: 04 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.:0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.:0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in
दिनांक : मई 19, 2026

विषय:- e-Sakshya मोबाइल ऐप के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश।

प्रिय महोदय,

e-Sakshya मोबाइल ऐप एक उन्नत डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन प्रणाली है, जिसमें वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन दोनों सम्मिलित हैं। यह प्रणाली नवीन आपराधिक कानूनों के अनुरूप विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, सटीक एवं विधिसम्मत बनाना है।

e-Sakshya मोबाइल ऐप की प्रमुख विशेषताएँ -

- **Real Time Capture:** उपयोगकर्ता मोबाइल ऐप के माध्यम से घटनास्थल, साक्ष्य एवं गवाहों के बयान का वीडियो एवं फोटो तुरन्त रिकॉर्ड कर सकते हैं।
- **Secure Storage:** रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य सुरक्षित रूप से संरक्षित रहते हैं, जिससे उनके साथ छेड़छाड़ की संभावना समाप्त होती है तथा वे न्यायालय में उपयोग हेतु विश्वसनीय बने रहते हैं।
- **Digital Authentication:** सभी रिकॉर्ड किए गए साक्ष्यों पर समय (Timestamp) एवं सत्यापन की प्रक्रिया लागू होती है, जिससे उनकी प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।
- **Web Portal Integration:** यह ऐप एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल से जुड़ा है, जिसके माध्यम से अधिकृत अधिकारी साक्ष्यों को कहीं से भी देख एवं समीक्षा कर सकते हैं।
- **Legal Compliance:** यह प्रणाली नवीन आपराधिक कानूनों (BNS) के अनुरूप विकसित की गई है, जिससे साक्ष्य संकलन पूर्णतः विधिक मानकों के अनुरूप होता है।

इस प्रकार, e-Sakshya तकनीक आधारित साक्ष्य संकलन के माध्यम से अन्वेषण में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं दक्षता को बढ़ाता है तथा साक्ष्य संग्रहण की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, सरल एवं न्यायालय में सुदृढ़ बनाता है।

e-Sakshya App के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश -

विवेचकों हेतु निर्देश -

विवेचक का e-Sakshya एवं CCTNS में पंजीकृत मोबाइल नंबर समान होना चाहिए, अन्यथा रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य FIR से अंतिम रूप से लिंक नहीं हो पाएंगे। विवेचक द्वारा e-Sakshya मोबाइल ऐप के माध्यम से BNSS की निम्नलिखित धाराओं का चयन करते हुये क्राइमसीन एवं Search / Seizure की वीडियो/फोटोग्राफी की जा सकती है-

- **BNSS धारा- 176 (Scene of Crime):** घटनास्थल का निरीक्षण करते समय विवेचक द्वारा घटनास्थल की फोटोग्राफी एवं वीडियो रिकॉर्डिंग e-Sakshya ऐप के माध्यम से अनिवार्य रूप से की जाएगी। इसमें घटनास्थल की स्थिति, भौतिक साक्ष्य, प्रवेश/निकास बिंदु आदि का स्पष्ट दृश्य रिकॉर्ड संलग्न किया जाएगा, जिससे साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके।
- **BNSS धारा- 105 (Search & Seizure):** किसी परिसर या स्थान की तलाशी एवं बरामदगी की कार्यवाही के दौरान सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। बरामद वस्तुओं की स्पष्ट फोटो लेकर उन्हें ऐप पर अपलोड किया जाएगा, जिससे जब्ती की पारदर्शिता एवं साक्ष्य श्रृंखला (chain of custody) सुरक्षित रह सके।

- **BNSS धारा - 185 (Search by Police Officer):** पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली तलाशी की कार्यवाही का वीडियो दस्तावेजीकरण किया जाएगा तथा तलाशी के दौरान प्राप्त साक्ष्यों/वस्तुओं का डिजिटल रिकॉर्ड e-Sakshya ऐप पर अपलोड किया जाएगा।
- **BNSS धारा- 173 (Recording of Statement):** गवाहों के कथनों के अभिलेखन के दौरान e-Sakshya ऐप के माध्यम से कथनों की ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। रिकॉर्डिंग में गवाह की पहचान, कथन की तिथि, समय एवं स्थान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा तथा उक्त रिकॉर्ड को बिना किसी संपादन के मूल स्वरूप में सुरक्षित रखते हुए ऐप पर अपलोड किया जाएगा।
- **BNSS धारा- 497 (Custody and Disposal of Property):** जब्त संपत्ति के सुरक्षित रख-रखाव एवं निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान संबंधित वस्तुओं की फोटोग्राफी एवं आवश्यकतानुसार वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी तथा उसका विवरण e-Sakshya ऐप पर अपलोड किया जाएगा, जिससे सम्पत्ति की स्थिति एवं प्रबंधन का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहे।
- **BNSS धारा- 180 (Recording of Statement):** विशेष परिस्थितियों में कथनों के अभिलेखन के दौरान e-Sakshya ऐप के माध्यम से कथन की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। रिकॉर्डिंग में कथन देने वाले व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी तथा जहाँ आवश्यक हो, उसकी सहमति/स्वीकृति का डिजिटल अभिलेख भी संधारित करते हुए रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से ऐप पर अपलोड किया जाएगा।

विवेचक का कर्तव्य है कि जिस दिन SID (Sakshya ID) बनाई जाए, उसी दिन उसे अपलोड कर संबंधित FIR से लिंक किया जाए तथा SID संख्या का उल्लेख संदर्भ सहित केस डायरी में अनिवार्य रूप से किया जाए।

वीडियो रिकॉर्डिंग के प्रारंभ में संदर्भ स्पष्ट रूप से बताया जाना आवश्यक है। जैसे- "मैं विवेचक निरीक्षक *<नाम>*, आज दिनांक *<दिनांक>* को समय *<समय>* बजे थाना *<थाने का नाम>*, मु०अ०सं० *<FIR No.>* धारा *<धारा>* BNS के संबंध में घटनास्थल निरीक्षण हेतु उपस्थित हूँ।" इस प्रकार की स्पष्ट शुरुआत से **वीडियो साक्ष्य की विश्वसनीयता बढ़ती है एवं न्यायालय में उपयोगिता अधिक मजबूत** होती है।

इस ऐप में विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं, अतः इसके प्रभावी एवं समुचित उपयोग हेतु साक्ष्य संकलन की संपूर्ण प्रक्रिया (cycle) को समझना अत्यंत आवश्यक है। ऐप के प्रयोग के संबंध में पूर्व में तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका (User Manual) दिनांक 18.03.2026 को जारी की जा चुकी है **(छायाप्रति संलग्न)**, यहाँ उसके प्रमुख एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं का संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है -

e-Sakshya मोबाइल ऐप उपयोग प्रक्रिया (Workflow) -

Step 1: New Sakshya Tab -

इस टैब के माध्यम से साक्ष्य की रिकॉर्डिंग की जाती है। यह विकल्प ऑफलाइन मोड में भी कार्य करता है। अधिकांश विवेचकों को इसकी जानकारी नहीं होती है। सामान्यतः साक्ष्य की रिकॉर्डिंग airplane mode में की जानी चाहिए, जिससे रिकॉर्डिंग के दौरान किसी अन्य ऐप अथवा कॉल के कारण कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

साक्ष्य की रिकॉर्डिंग पूर्ण होकर फ्रीज होने के उपरांत यह स्वतः "Pending to Upload" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित हो जाता है।

Step 2: Pending to Upload Tab -

इस टैब के माध्यम से रिकॉर्ड की गई सभी SID को अपलोड किया जाता है। अपलोड किए गए साक्ष्य संबंधित विवेचक के DigiLocker में सुरक्षित रूप से संग्रहीत हो जाते हैं।

Step 3: Pending to Link with FIR Tab -

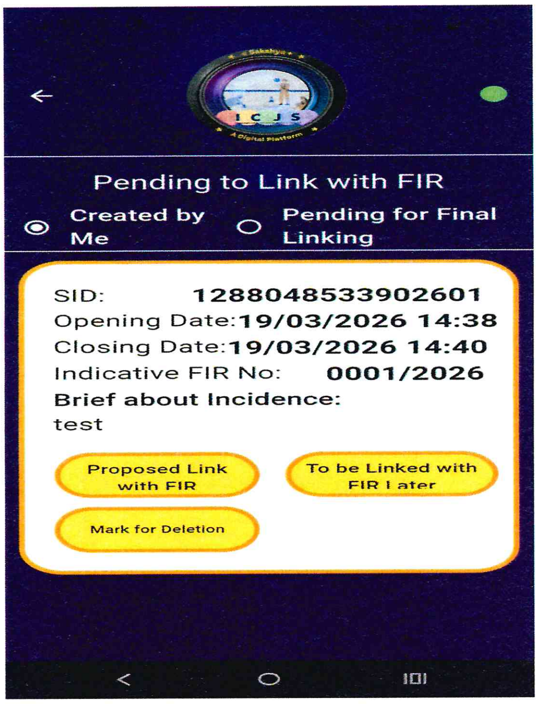

- इस टैब के माध्यम से SID को संबंधित FIR से अंतिम रूप से लिंक किया जाता है अथवा आवश्यकता होने पर उसे deletion हेतु चिह्नित (mark) किया जा सकता है। e-Sakshya App में "Pending to Link with FIR" एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, जहाँ सृजित SID (Sakshya ID) को संबंधित FIR से जोड़ा जाता है।
- इस विकल्प में मुख्यतः दो श्रेणियाँ होती हैं—"Created by Me" तथा "Pending for Final Linking".
- "Created by Me" के अंतर्गत विवेचक अपने द्वारा बनाई गई SID को संबंधित FIR से जोड़ने हेतु प्रस्तावित (Proposed Link with FIR) कर सकता है। इसमें FIR का विवरण भरकर उसे validate किया जाता है तथा तत्पश्चात linking हेतु प्रेषित किया जाता है।
- यदि SID बनाने वाला ही उस अभियोग का विवेचक (IO) है, तो वह स्वयं उस SID को FIR से अंतिम रूप से लिंक कर सकता है, अन्यथा SID "Pending for Final Linking" श्रेणी में चली जाती है, जहाँ संबंधित विवेचक द्वारा अंतिम linking की जाती है।
- इसके अतिरिक्त, विवेचक आवश्यकतानुसार linking को reject कर सकता है अथवा SID को deletion हेतु mark कर सकता है। तथापि, "mark for deletion" का अर्थ स्थायी विलोपन नहीं होता है, बल्कि संबंधित साक्ष्य web portal पर सुरक्षित रूप से उपलब्ध रहता है।
- साथ ही "To be Linked with FIR Later" विकल्प के माध्यम से SID को बाद में लिंक करने हेतु चिह्नित किया जा सकता है।
- इस प्रकार, यह संपूर्ण मॉड्यूल यह सुनिश्चित करता है कि **SID की FIR से सही, नियंत्रित एवं उत्तरदायी linking** हो, जिससे साक्ष्य की वैधता एवं जांच की पारदर्शिता बनी रहे।

Step 4: Pending to Remove from Device Tab –

Final Linking के उपरांत SID "Pending to Remove from Device" टैब में प्रदर्शित होती है। इस टैब में अधिकतम 05 SID ही संग्रहीत की जा सकती हैं। यदि इन्हें समय-समय पर डिवाइस से हटाया (remove) नहीं जाता है, तो "New Sakshya" टैब कार्य करना बंद कर सकता है। अतः इस टैब से SID को नियमित रूप से हटाना आवश्यक है।

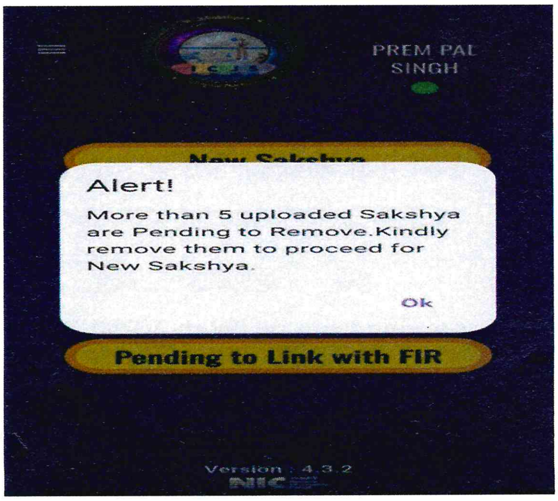

इसके अतिरिक्त, **"Sakshya Mini Statement"** टैब के माध्यम से विवेचक अपने द्वारा रिकॉर्ड एवं अपलोड किए गए साक्ष्यों (SID) का अवलोकन एवं प्रबंधन आसानी से कर सकता है। इस विकल्प में मुख्यतः दो श्रेणियाँ होती हैं- "Creator" एवं "IO".

"Creator" श्रेणी के अंतर्गत विवेचक अपने द्वारा सृजित अधिकतम 10 SID की सूची देख सकता है तथा SID Number, FIR Number अथवा दिनांक के आधार पर उन्हें खोज सकता है। वहीं **"IO"** विकल्प के अंतर्गत विवेचक उन सभी SID को देख सकता है, जो उन FIR से संबंधित हैं, जिनमें वह विवेचक है ।

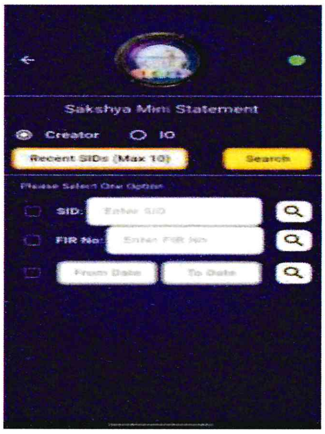

ICJS e-Sakshya IO Dashboard -

ICJS e-Sakshya का IO Dashboard विवेचक के लिए एक महत्वपूर्ण मॉनिटरिंग टूल है, जिसके माध्यम से वह अपने द्वारा सृजित सभी साक्ष्यों (SID) की स्थिति को एक ही स्थान पर कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से देख सकता है।

इस डैशबोर्ड में विभिन्न टैब जैसे- Total SID, Final Linked with FIR, Pending for Linking, Marked for Deletion, Marked for Linking Later तथा Proposed Link with FIR उपलब्ध होते हैं। इनके माध्यम से विवेचक यह जान सकता है कि कितनी SID सफलतापूर्वक FIR से लिंक हो चुकी हैं तथा कितनी अभी लंबित हैं।

यह डैशबोर्ड विवेचक को अपनी प्रगति का आकलन करने, लंबित कार्यों की पहचान करने तथा समयबद्ध रूप से SID को अपलोड एवं लिंक करने में सहायता प्रदान करता है।

इस डैशबोर्ड को **https://saccess.nic.in (Web VPN)** के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इसके लॉगिन हेतु आवश्यक यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रत्येक थाने को पूर्व से उपलब्ध हैं ।

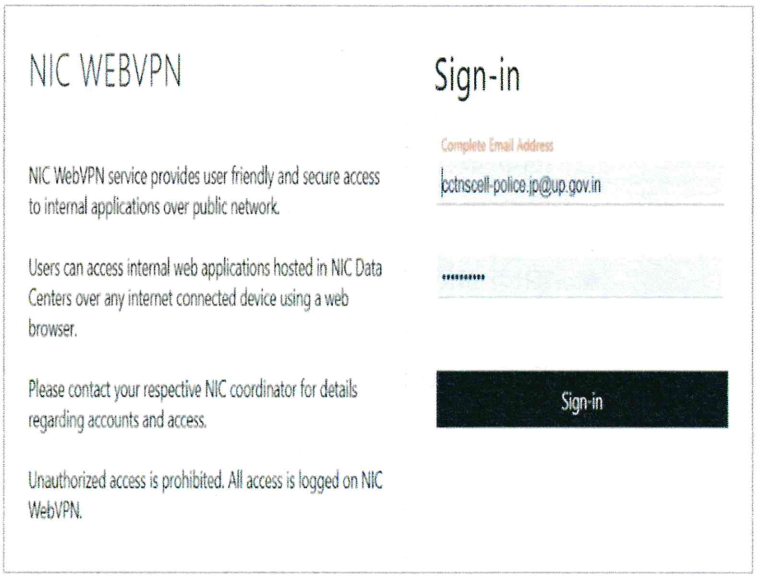

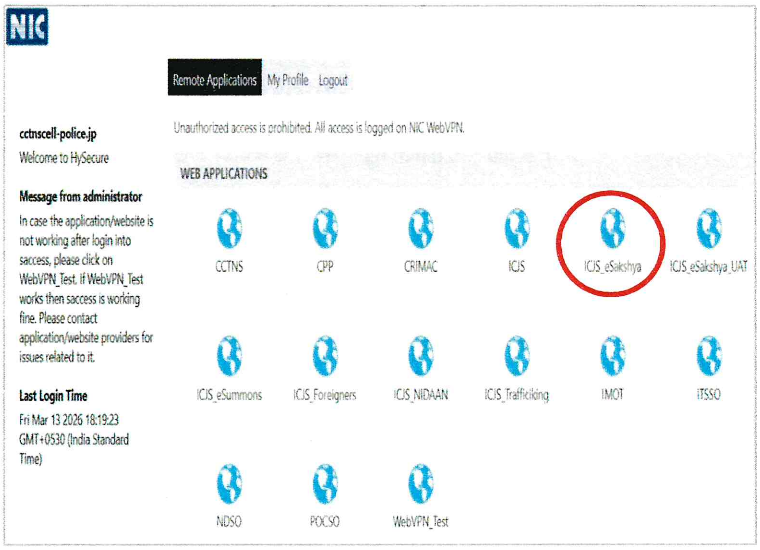

लॉगिन के उपरांत स्क्रीन पर प्रदर्शित विभिन्न विकल्पों में से **ICJS_eSakshya** लिंक पर क्लिक करें। तत्पश्चात अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर प्राप्त OTP भरें, जिसके माध्यम से डैशबोर्ड को एक्सेस किया जा सकेगा।

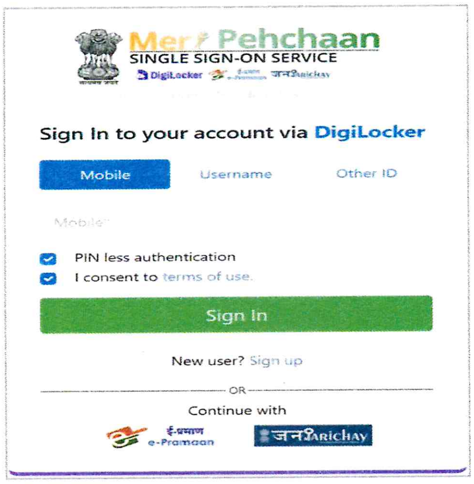

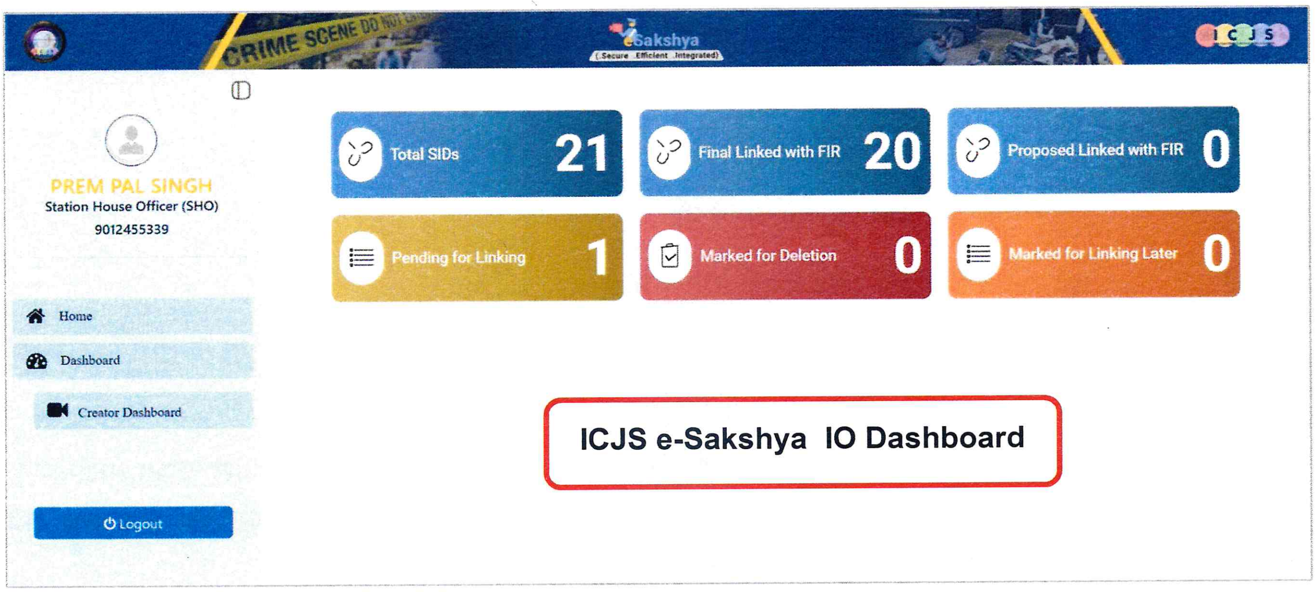

e-Sakshya रिकॉर्डिंग हेतु निर्देश -

e-Sakshya App पर अपलोड की गई SID के परीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि कई प्रकरणों में अपलोड किए गए वीडियो एवं फोटो की गुणवत्ता अपेक्षाकृत कम होती है, जिसके कारण उनकी न्यायालय में उपयोगिता सीमित हो जाती है।

अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि विवेचक e-Sakshya के माध्यम से साक्ष्य की रिकॉर्डिंग वैज्ञानिक, व्यवस्थित एवं मानक प्रक्रिया के अनुरूप करें, जिससे साक्ष्य की स्पष्टता, विश्वसनीयता एवं न्यायालय में स्वीकार्यता सुनिश्चित की जा सके।

1. घटनास्थल की रिकॉर्डिंग तीन चरणों में की जानी चाहिए -

i. **Overview Shot:-** इस चरण में पूरे घटनास्थल का सामान्य दृश्य प्रदर्शित किया जाए, जैसे— सड़क, मकान संख्या, आसपास का क्षेत्र तथा प्रवेश एवं निकास बिंदु। इससे घटनास्थल की स्पष्ट पहचान स्थापित होती है।

ii. **Mid-Range Shot:-** इस चरण में साक्ष्यों के बीच का आपसी संबंध प्रदर्शित किया जाए, जैसे— हथियार एवं शव की स्थिति, रक्त के निशान तथा आसपास उपलब्ध अन्य वस्तुएँ। इससे घटनास्थल की परिस्थितियों को समझने में सहायता मिलती है।

iii. **Close-Up Shot:-** इस चरण में महत्त्वपूर्ण साक्ष्यों के निकट से स्पष्ट एवं विस्तृत चित्र लिए जाएं, जैसे—हथियार, रक्त के धब्बे, पदचिह्न अथवा उँगलियों के निशान।

2. बरामदगी की रिकॉर्डिंग: -

बरामदगी के दौरान स्थान को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए तथा वस्तु को निकालने की संपूर्ण प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति भी स्पष्ट रूप से दर्शाई जाए। साथ ही यह भी रिकॉर्ड किया जाए कि जब्ती मेमो/फर्द बरामदगी तैयार की जा रही है तथा गवाह उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।

3. पैकिंग एवं सीलिंग की रिकॉर्डिंग -

यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए कि बरामद वस्तु को पैकेट में रखा जा रहा है, उसे विधिवत पैक किया जा रहा है तथा पैकेट को सील किया जा रहा है। सील का निशान भी कैमरे में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। विवेचक अथवा बरामद करने वाला अधिकारी कैमरे के समक्ष यह भी उल्लेख करे कि – **"बरामद वस्तु को मौके पर पैक एवं सील किया जा रहा है।"**

4. रिकॉर्डिंग के दौरान सावधानियाँ -

रिकॉर्डिंग करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ सुनिश्चित की जाएं -

(i) कैमरा धीरे एवं स्थिर रखा जाए।

(ii) वीडियो स्पष्ट एवं फोकस में हो।

(iii) अनावश्यक वार्तालाप से बचा जाए।

(iv) रिकॉर्डिंग से पूर्व घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया जाए, जिससे साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो।

(v) रिकॉर्डिंग में केवल प्रासंगिक साक्ष्य ही प्रदर्शित किए जाएं।

रिकॉर्डिंग इस प्रकार की होनी चाहिए कि न्यायालय में अवलोकन के समय पूरी घटना, बरामदगी एवं साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। इस प्रकार की **व्यवस्थित रिकॉर्डिंग से साक्ष्य अधिक स्पष्ट, विश्वसनीय एवं न्यायालय में अधिक प्रभावी** बनते हैं।

फील्ड यूनिट हेतु निर्देश -

BNSS की धारा 176(3) के अंतर्गत 07 वर्ष या उससे अधिक दंडनीय अपराधों में Field Unit की घटनास्थल पर उपस्थिति एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन अनिवार्य किया गया है, जिसका उद्देश्य अन्वेषण को अधिक वैज्ञानिक एवं सुदृढ़ बनाना है।

वर्तमान में यह अवलोकित किया गया है कि Field Unit द्वारा घटनास्थल पर जाकर फोटो एवं वीडियो के रूप में साक्ष्य संकलित तो किए जा रहे हैं, किन्तु उन्हें e-Sakshya App पर रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप, ये साक्ष्य डिजिटल रूप से संरक्षित नहीं हो पाते तथा उनकी निगरानी एवं न्यायालय में प्रस्तुति की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

अतः यह आवश्यक है कि Field Unit द्वारा संकलित सभी साक्ष्य- जैसे घटनास्थल के फोटो, वीडियो, भौतिक साक्ष्य की स्थिति, सैंपल कलेक्शन आदि, सीधे e-Sakshya mobile App के माध्यम से ही रिकॉर्ड किए जाएं। यदि FIR तत्काल उपलब्ध न हो, तो "FIR to be assigned later" विकल्प का उपयोग किया जा सकता है, जिससे साक्ष्य समयबद्ध रूप से रिकॉर्ड हो सकें तथा बाद में संबंधित FIR से लिंक किए जा सकें।

पर्यवेक्षण अधिकारियों (CP/SSP/SP, ADCP/Addl.SP, ACP/CO) हेतु निर्देश –

पर्यवेक्षण अधिकारियों के स्तर पर e-Sakshya की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए। अपराध समीक्षा बैठकों में थाना-वार प्रगति का मूल्यांकन करते हुए Unique FIR एवं Pending SID Linking की समीक्षा D+3 (72 घंटे) के मानक के अनुसार की जाए तथा FIR पंजीकरण के 72 घंटे के भीतर SID Generation पूर्ण कराया जाए।

साथ ही, विवेचकों को e-Sakshya मोबाइल ऐप के उपयोग हेतु नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तथा आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देते हुए कार्य में शिथिलता पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संबंधित FIR से सभी SID लिंक होने के उपरांत ही केस डायरी माननीय न्यायालय को प्रेषित की जाए।

थाना प्रभारी (SHO) स्तर पर –

प्रतिदिन SID की FIR से लिंकिंग की समीक्षा करते हुए अपराध रजिस्टर में प्रत्येक FIR से संबंधित SID संख्या एवं उसका संक्षिप्त विवरण अंकित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी विवेचक का स्थानांतरण अन्य थाना या शाखा में होता है, तो उसकी रवानगी से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि उसके द्वारा सृजित सभी SID संबंधित FIR से लिंक हो चुकी हों।

अतः समस्त जनपद प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए तथा e-Sakshya mobile App के माध्यम से साक्ष्य संकलन की कार्यवाही को प्रभावी बनाया जाए।

मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सामूहिक प्रयासों से प्रदेश में e-Sakshya App का प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे मा० न्यायालय में अपराधियों को दंडित कराने में सहायता मिलेगी, विवेचना की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा नवीन आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।

संलग्नक :- उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका (User Manual)

भवदीय,

18/5

(राजीव कृष्णा)

समस्त पुलिस आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।